

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या :- 17-आवंटन (योजना-0101)- 126/2020...1218

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज,
अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा,
पश्चिम चम्पारण (बेतिया), बाँका, जमुई, शेखपुरा, मुंगेर एवं नालन्दा।
पटना, दिनांक :- (15-03-2021)

विषय :- मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व-उप मुख्य शीर्ष -00- लघु शीर्ष 102- सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष -0101- सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के लिए चयनित अंचलों में प्रत्येक शिविर के लिए प्रिन्टर की आवश्यकता है इसके लिए ईकाई कोड संख्या- 13 01- कार्यालय व्यय मद में प्रति प्रिन्टर 15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये) की दर से कुल 208 शिविरों के लिए प्रति शिविर एक प्रिन्टर क्रय करने हेतु कुल- 31,20,000/- (एकतीस लाख बीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर का नाम	शिविर की संख्या	प्रत्येक शिविर 15,000 रुपये	कुल राशि (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय	बेगूसराय सदर	3	15000	45000
		बीरपुर	2	15000	30000
		चेरिया बरियारपुर	2	15000	30000
		दंडारी	1	15000	15000
		खोदाबन्दपुर	1	15000	15000
		गढ़पुरा	2	15000	30000
		मंसूरचक	2	15000	30000
		मटिहानी	2	15000	30000
		साहेबपुर कमाल	2	15000	30000
		शम्हो कुअरा	2	15000	30000
(i) कुल योग :-					2,85,000

क्र०सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर का नाम	शिविर की संख्या	प्रत्येक शिविर 15,000 रुपये	कुल राशि (4x5)
1	2	3	4	5	6
2	बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया	अलौली	2	15000	30000
		बेलदाउर	1	15000	15000
		चौथम	1	15000	15000
		गोगरी	3	15000	45000
(ii) कुल योग :-					1,05,000
3	बन्दोबस्त कार्यालय, लखीसराय	सूर्यगढ़ा	6	15000	90000
		चानन	3	15000	45000
		हलसी	3	15000	45000
		लखीसराय	3	15000	45000
		रामगढ़ चौक	1	15000	15000
(iii) कुल योग :-					2,40,000
4	बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद	घोसी	2	15000	30000
		मोदनगंज	2	15000	30000
		रतनी फरीदपुर	4	15000	60000
		हुलास गंज	2	15000	30000
(iv) कुल योग :-					1,50,000
5	बन्दोबस्त कार्यालय, अरवल	सोनभद्र वंशी	2	15000	30000
		कुर्था	3	15000	45000
		करपी	3	15000	45000
		कलेर	2	15000	30000
		अरवल	3	15000	45000
(v) कुल योग :-					1,95,000
6	बन्दोबस्त कार्यालय, शिवहर	पीपराही	1	15000	15000
		डुमरी	1	15000	15000
		पुरनहिया	1	15000	15000
(vi) कुल योग :-					45,000
7	बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज	किशनगंज	3	15000	45000
		बहादुरगंज	4	15000	60000
		कोचाधामन	5	15000	75000
		ठाकुरगंज	5	15000	75000
(vii) कुल योग :-					2,55,000

क्र०सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर का नाम	शिविर की संख्या	प्रत्येक शिविर 15,000 रूपये	कुल राशि (4x5)
1	2	3	4	5	6
8	बन्दोबस्त कार्यालय, अररिया	भरगावाँ	3	15000	45000
		रानीगंज	3	15000	45000
(viii) कुल योग :-					90,000
9	बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार	कुरसैला	1	15000	15000
		कोढ़ा	3	15000	45000
		फलका	3	15000	45000
(ix) कुल योग :-					1,05,000
10	बन्दोबस्त कार्यालय, पूर्णियाँ	श्रीनगर	2	15000	30000
		बनमंखी	2	15000	30000
(x) कुल योग :-					60,000
11	बन्दोबस्त कार्यालय, सीतामढ़ी	बथनाहा	3	15000	45000
		रीगा	2	15000	30000
		सोनवर्षा	2	15000	30000
		बाजपट्टी	2	15000	30000
(xi) कुल योग :-					1,35,000
12	बन्दोबस्त कार्यालय, सुपौल	छतरपुर	3	15000	45000
		पिपरा	2	15000	30000
		प्रतापगंज	1	15000	15000
		त्रिवेणीगंज	3	15000	45000
		सुपौल	3	15000	45000
(xii) कुल योग :-					1,80,000
13	बन्दोबस्त कार्यालय, सहरसा	सोनवर्षा	2	15000	30000
		सौरबाजार	2	15000	30000
		पत्थरघाट	1	15000	15000
(xiii) कुल योग :-					75,000
14	बन्दोबस्त कार्यालय, मधेपुरा	गम्हरिया	1	15000	15000
		शंकरपुर	1	15000	15000
		सिहेश्वर स्थान	1	15000	15000
		कुमार खण्ड	3	15000	45000
(xiv) कुल योग :-					90,000

क्र०सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर का नाम	शिविर की संख्या	प्रत्येक शिविर 15,000 रुपये	कुल राशि (4x5)
1	2	3	4	5	6
15	बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	चनपटिया	3	15000	45000
		मंझौलिया	3	15000	45000
		नौतन	2	15000	30000
		लौरिया	3	15000	45000
(xv) कुल योग :-					1,65,000
16	बन्दोबस्त कार्यालय, बाँका	चानन	3	15000	45000
		कटोरिया	1	15000	15000
		फल्लीडुमर	2	15000	30000
		बाराहाट	3	15000	45000
		बेलहर	3	15000	45000
(xvi) कुल योग :-					1,80,000
17	बन्दोबस्त कार्यालय, जमुई	बरहट	1	15000	15000
		खैरा	3	15000	45000
		लक्ष्मीपुर	2	15000	30000
(xvii) कुल योग :-					90,000
18	बन्दोबस्त कार्यालय, शेखपुरा	अरियरी	3	15000	45000
		बरविघा	3	15000	45000
		चेवरा	2	15000	30000
		घाटकुम्बा	2	15000	30000
		शेखपुरा	4	15000	60000
		शेखपुर सराय	1	15000	15000
(xviii) कुल योग :-					2,25,000
19	बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर	असरगंज	3	15000	45000
		टेटियाबम्बर	2	15000	30000
		तारापुर	3	15000	45000
		बरियारपुर	2	15000	30000
		संग्रामपुर	3	15000	45000
(xix) कुल योग :-					1,95,000

क्र०सं०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	शिविर का नाम	शिविर की संख्या	प्रत्येक शिविर 15,000 रुपये	कुल राशि (4x5)
1	2	3	4	5	6
20	बन्दोबस्त कार्यालय, नालन्दा	अस्थावाँ	2	15000	30000
		बेन	1	15000	15000
		बिन्द	2	15000	30000
		चण्डी	3	15000	45000
		हरनौत	3	15000	45000
		सिलाव	2	15000	30000
		परवलपुर	1	15000	15000
		सरमेरा	2	15000	30000
		थरथरी	1	15000	15000
(xx) योग :-					2,55,000
कुल योग	(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)+(vi)+(vii)+(viii)+(ix)+(x)+(xi)+(xii)+(xiii)+(xiv)+(xv)+(xvi)+(xvii)+(xviii)+(xix)+(xx) :-				31,20,000 / -

(एकतीस लाख बीस हजार रुपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 314 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/ उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 - 2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।
7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
8. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
9. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।
10. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक :- 15-03-2021

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (योजना-0101)- 126/2020....1.2.18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 15-03-2021

ज्ञापांक - 17-आवंटन (योजना-0101)- 126/2020....1.2.18

प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक 15-03-2021

ज्ञापांक - 17-आवंटन (योजना-0101)- 126/2020....1.2.18

प्रतिलिपि :- सुश्री सुरभि सिंह, आई0टी0 सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण